

राजस्थान सरकार
कार्मिक/क-5/वि

सं०प० 98/17/कार्मिक/क-5/95

जयपुर, दिनांक 21-10-2002

समस्त जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट।

परिपत्र

विषय:- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

विभिन्न जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा समय-समय पर स्पष्टीकरण चाहे जाते रहे हैं कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे व्यक्ति जो अन्य राज्य से माईग्रेट होकर राजस्थान राज्य में निवास कर रहे हैं, को उनके स्वयं अथवा उनकी रक्षणों के उपयोगार्थ उक्त वर्ग का जाति प्रमाण-पत्र देय है अथवा नहीं।

प्रश्न पर परीक्षणोपरान्त इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त वर्ग के अन्य राज्य से माईग्रेट होकर राजस्थान राज्य में स्थाई रूप से निवास कर रहे व्यक्तियों को स्वयं के उपयोगार्थ जो जाति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऐसे माईग्रेट हुए व्यक्तियों की संतानों को जिनका जन्म राजस्थान राज्य में ही हुआ है, यहाँ शिवाग्रहण की है, यहाँ से मूल निवास प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया है तथा राजस्थान सरकार द्वारा जारी इन वर्गों की सूची (जिसे अनुसूचित किया गया है) में शामिल है तो उन्हें नियमानुसार जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकता है।

अतः आपके निवेदन है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु आपके अधीनस्थ जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकृत अधिकारियों को भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

सचिव

श्री शंकर लाल